



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 479 राँची, मंगलवार, 1 श्रावण, 1946 (श०)
23 जुलाई, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

8 जुलाई, 2024

संख्या- 4138--

विषय:- झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का मानदेय भुगतान के संबंध में ।

विगत वर्षों में झारखण्ड जेल मेन्स एसोसिएशन द्वारा कक्षपाल संवर्ग के कारा कर्मियों को झारखण्ड पुलिस कर्मियों के समतुल्य एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का मानदेय भुगतान करने के संबंध में मांग की जाती रही थी। इसी संदर्भ में कारा निरीक्षणालय से झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का मानदेय भुगतान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

2. इसी क्रम में दिनांक-28.06.2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-38 के रूप में झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) का मानदेय दिये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

(i) झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय का भुगतान अनुमान्य होगा ।

(ii) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के संकल्प संख्या-5151, दिनांक-26.09.2019 में उल्लेखित शर्तों के आलोक में ही उक्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

(iii) झारखण्ड कारा कक्षपाल संवर्ग के कर्मियों को एक माह का वेतन (मूल वेतन महंगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप कक्षपाल संवर्ग को पुलिस कर्मियों के समतुल्य वेतनमान एवं ग्रेड पे (Pay Level) अनुमान्य नहीं होगा ।

3. मानदेय भुगतान पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जायेगा, जिस शीर्ष से संबंधित कारा कक्षपाल कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जाता है ।

4. उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संलेख संख्या-3968 दिनांक-28.06.2024 के क्रम में दिनांक-28.06.2024 की बैठक में मद संख्या-38 के रूप में दी गयी है ।

6. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
